उन वयस्कों की सुरक्षा में मदद करना जिन्हें दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण या नुकसान का जोखिम है

मैं किससे बात कर सकता हूं/मुझे क्या करना चाहिए?

- यदि आपका उत्पीड़न हो रहा है, तो उस व्यक्ति को बताएं जिस पर आप भरोसा करते हों
- अगर आपको किसी को लेकर चिंतित हैं, तो देखें कि आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं
- यदि आप किसी की विकट हालात में देखभाल कर रहे हैं, तो तुरंत सामाजिक सेवा या देखभाल करने वाले किसी संगठन की सहायता लें
- अपनी चिंताओं की यथाशीघ्र रिपोर्ट करें - दिए गए संपर्क विवरण देखें
- अगर आपका उत्पीड़न हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बताएं जिस पर आप भरोसा करते हैं या काउंसिल की फर्स्ट कांटेक्ट टीम से **020 8708 7333** या **020 8553 5825** पर कॉल करें (शाम, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश में)

मेरी चिंताओं पर क्या होगा?

हम आपकी चिंताओं को गंभीरता से लेंगे। अगर कोई खतरे में है,तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण होगा।

हम निर्णय लेने की सारी प्रक्रिया में उस व्यक्ति को शामिल करेंगे जिसके बारे में चिंता है तथा उन्हें इस पर चर्चा करने के लिए बैठकों में बुलाया जाएगा। वे अपने प्रतिनिधि/अधिवक्ता के साथ इन बैठकों में भाग ले सकेंगे।

प्रशिक्षित कर्मचारी संवेदनशीलता से पूछताछ या मूल्यांकन करके यह निर्णय लेंगे कि आपको या उस व्यक्ति को, जिसके बारे में चिंता है, कैसे सर्वोत्तम सहायता दी जा सकती है।

दी जाने वाली सहायता तथा उठाए जाने वाले कदम, परिस्थितियों तथा पूछताछ या मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर करेंगे।

उन देखभाल करने वालों को सहायता दी जाएगी जो उस व्यक्ति को संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं जिसकी वे देखभाल कर रहे हैं।

मदद लें

अपने बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी आप परवाह करते हों, जो भी चिंता हो उसे यथाशीघ्र रिपोर्ट करें

फर्स्ट कांटेक्ट टीम

सोमवार से शुक्रवार, 09:00 से 17:00

020 8708 7333

ईमेल: adults.alert@redbridge.gov.uk

इमरजेंसी ड्यूटी टीम

शाम 17:00 से, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश में

020 8553 5825

पुलिस

नॉन-इमरजेंसी 101

इमरजेंसी में डायल करें **999**

समेरिटन्स (Samaritans)

116 123 (निशुल्क कॉल)

रीच आउट सर्विस

घरेलू उत्पीड़न में सहायता के लिए

0800 1456410

ईमेल: reachout@redbridge.gov.uk

या तय समय के बाद कॉल **रिफ्यूज** on **0808 2000 247**

और जानकारी, परामर्श और संपर्क नंबर निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

www.redbridge.gov.uk

Redbridge Safeguarding Adults

रेडब्रिज सेफगार्डिंग एडल्ट्स बोर्ड

रेडब्रिज में वयस्कों की सुरक्षा करना - मिलकर हम उत्पीड़न रोक सकते हैं

उन वयस्कों की सहायता करना जिन्हें दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण या नुकसान का खतरा है

NHS North East London

Metropolitan Police – Working together for a safer London

NELFT NHS Foundation Trust

London Borough of Redbridge

लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कार्यरत

प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करने तथा उत्पीड़न, उपेक्षा या शोषण के भय के बिना जीने का अधिकार है। रेडब्रिज सेफगार्डिंग एडल्ट्स बोर्ड के भागीदार संगठन, जिनमें स्थानीय प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और पुलिस शामिल हैं, उन वयस्कों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचने का सबसे अधिक खतरा है।

आप उत्पीड़न को लेकर जागरुक रहते हुए इस काम में मदद कर सकते हैं। आप उत्पीड़न के संकेतों पर ध्यान देकर तथा अपनी किसी भी चिंता की सूचना देकर बदलाव ला सकते हैं।

कौन वयस्क खतरे में है?

कोई 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति, जिसे:

- विकलांगता या बीमारी के कारण देखभाल और सहायता की आवश्यकता हो; और
- उत्पीड़न या उपेक्षा से गुजर रहा है या इसके जोखिम में है; और
- परिणामस्वरूप वह उत्पीड़न या उपेक्षा के जोखिम या अनुभव से खुद को बचाने में असमर्थ हो जाते हैं।

उत्पीड़न कौन करता है और यह कहां होता है?

उत्पीड़न कहीं भी हो सकता है – किसी के घर में, देखभाल गृह में, कार्यस्थल पर, डे सेंटर में या अस्पताल में। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यवहार कर सकता है जो उत्पीड़नकारी हो। यह महत्वपूर्ण है कि आप हर समय संभावित उत्पीड़न के प्रति सतर्क रहें।

उत्पीड़न क्या है?

उत्पीड़न कुछ ऐसा है जो किसी व्यक्ति को ऐसे नुकसान पहुंचाता है:

शशारीरिक कोई भी ऐसी चीज जो शारीरिक नुकसान पहुंचाती हो, जिसमें मारना, धक्का देना, हिलाना या दवा का दुरुपयोग, सख्ती या अनुचित शारीरिक दंड शामिल हैं।

घरेलू हिंसा या उत्पीड़न इसमें मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, यौन, वित्तीय, भावनात्मक उत्पीड़न और तथाकथित 'सम्मान' आधारित हिंसा शामिल है।

यौन कोई भी यौन गतिविधि जिसे दूसरा व्यक्ति नहीं समझता या नहीं चाहता, जिसमें यौन शोषण भी शामिल है।

मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक उत्पीड़न इसमें चिल्लाना, गाली देना या धमकी देना शामिल है जिससे व्यक्ति को डर लगे या अपमान महसूस हो। इसमें साइबर धमकी (साइबरबुलिंग), सेवाओं या सहायता नेटवर्कों को अनुचित व असंगत तरीके से वापस लेना भी शामिल है।

वित्तीय या भौतिक इसमें चोरी, धोखाधड़ी, इंटरनेट घोटाला, किसी व्यक्ति के धन, लाभ, संपत्ति (ककूइंग), पेंशन, बैंक खाते या अन्य सामान का अवैध या अनुचित उपयोग शामिल है।

आधुनिक गुलामी इसमें गुलामी, मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और घरेलू गुलामी शामिल है, जो व्यक्ति को उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार वाले जीवन में धकेलती है।

भेदभावपरक इसमें नस्लवादी या लैंगिकवादी उत्पीड़न या किसी व्यक्ति की आयु, विकलांगता, जेंडर, यौन अभिविन्यास या धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार शामिल है।

संगठनात्मक इसमें किसी संस्थान या विशिष्ट देखभाल व्यवस्था जैसे कि अस्पताल, देखभाल गृह या किसी व्यक्ति के घर में प्रदान की गई देखभाल में उपेक्षा और खराब देखभाल शामिल है।

उपेक्षा और चूक वाले काम जरूरी सहायता, समर्थन या उपचार न देना जिसमें भोजन, पेय या चिकित्सा देखभाल नहीं देना शामिल है।

स्व-उपेक्षा इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य या परिवेश की देखभाल करने में लापरवाही बरतने वाले व्यवहार की श्रृंखला शामिल है।

कट्टरता जहां किसी व्यक्ति या समूह को ऐसे अतिवादी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक आदर्शों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उन्हें खतरे में डाल सकता है।

महिला जननांग अंगभंग (FGM) किसी महिला के बाह्य जननांग को बिना-चिकित्सीय कारणों के आंशिक या पूर्ण रूप से हटाना।